फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री प्रेमसिंह पिता छगनसिंह निवासी कामा ग्रा0पं0 फतेहपुर, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 01/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.02.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर द्वारा जरिये क्रमांकः राजस्व/2020/135 दिनांक 09.02.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार श्री प्रार्थी श्री प्रेमसिंह द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना चाही गई कि ग्राम कामा पटवार मण्डल फतहपुर के बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त खसरा संख्या 805 क्षेत्रफल 1–10 मृदा भूमि का वर्गीकरण बीड की पेनल्टी किस नाम से जमा होती हैं और कब–कब जमा होती हैं। उक्त अपील प्राप्त होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त अपील प्राप्त हुई उस समय तक पटवारी हल्का द्वारा पी–14 कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये थे। अतः प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/सू.अ.अ./2020/401 दिनांक 19.10.2020 द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि अगर कोई व्यक्ति बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करता है तो उस क्षैत्र का पटवारी पी–14 में उक्त भूमि दर्शा कर तहसील कार्यालय में पेश करता है, जिस पर धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा और तय दिनांक पर संबंधित पटवार मण्डल पर पेशी रख अतिक्रमी से पेनल्टी लेकर अतिक्रमण हटाया जाता हैं। उक्त जानकारी प्रार्थी को दी गई एवं प्रार्थी सूचना से संतुष्ट होते हुए अपने हस्ताक्षर कर अवगत कराया कि सूचना प्राप्त की। प्रार्थी द्वारा मूल सूचना के आवेदन में इसकी कोई सूचना नही मांगी गई हैं। लेकिन चाही गई वांछित सूचना में सन 2020 के पी– 14 अनुसार खसरा नम्बर 805 पर इन चार अतिक्रमियों का अतिक्रमण पाया गया एवं इनको धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार पेनल्टी वसूल की गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 127–28 दिनांक 08.02.2021 से जरिये रजिस्टर्ड ए डी भिजवाई गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर की रिपोर्ट एवं	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये पत्र क्रमांकः सू.अधि./2020/127–28 दिनांक 08.02.2021 से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, खमनोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)